राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 205 अगस्त 2016

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

पिछले सप्तरह, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए प्रारूप सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी है, जो सरोगेसी पर रोक लगाता है परन्तु परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जिसकें कोई भी शुल्क, खर्चा, फीस, पारिश्रमिक अथवा धन का प्रन्नोभन दिए जानें की अनुमति नहीं होगी के सरोगेट माता के लिए कानूनी रूप से किसी और का बच्चा अपनी कोख में रखने के लिय मेडिकल व्यय अथवा इंश्योरेंस की अनुमति होगी।

इस समय भारत में सरोगेसी के विनियमन के लिए कोई कानून नही है जिसके कारण विशोजकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं का शोषण किया जाता है जो धन के लालच में सरोगेट माताए बनने के लिए राजी हो जाती हैं।

प्रसवित कानून के अंतर्गत केवल बाँझ दम्पती, जिनकी विवाह हुए कम से कम पांच वर्ष हो चुके हों, इस शर्त्र के साथ सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं कि उनके बच्चे के लिए सरोगेट माता केवल अनकी निकट की संबेधी होनी चाहिए, तथापि, ऐसे दम्पती जिनका एक बच्चा है या किसी बच्चे को गोद लिया हुआ है, सरागेसी का विकल्प नहीं ले सकते। विधेयक में सरोगेसी कराने वाले माता–पिता की आयु निर्फारित की गई है–महिला की आयु 23 और 50 वर्ष के बीच, पुरूष की 26 और 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरोगेट माता विवाहित महिला होनी चाहिय और उसका कम से कम एक विधेयक में महिला के उसके जीवन माल में एक से अधिक बार सरोगेट माता बनने पर रोक लगाई गई है।

जबकि अनेक देशो जैसे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, न्युजीलैंड, जापान और थाईलैंड में

चर्चा में सरोगेसी विनियमन विधेयक

व्यवसायी सरोगेसी पर रोक लगी हुई है। प्रसावित कानून में भी भारत में व्यवसायी सरोगेसी पर रोक है और विदेशियों, समलेगिंक कपल, लिव–इन पार्टनर, एकल माता–पिता, होमोसेक्सुअल, गैर–निवासी भारतीयों को सरोगेसी के द्वारा बच्चों को लेने पर रोंक है।

विधेयक में सरोगेट माता–पिता द्वारा अपना बच्चा त्यागने पर उन पर जुर्माना लगाने और 10 वर्ष की कैद का दंड देने का भी प्रस्ताव है जैसा कि वर्ष 2014 में हुआ जब एक आस्ट्रेलियायी दम्पति ने जिनके सरोगेट जुड़वा बच्चे थे, लड़की को अपने साथ ले गए और लड़के को छोड़ दिया। हभी हाल में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जब सरोगेट कराने वाले माता–पिता ने सरोगेट बच्चो को त्याग दिया था क्योंकि लड़के या लड़की में कुछ असामान्यता थी। विधेयक में सभी सरोगेसी क्लिनिक के लिए सरकार में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसका पालन न करने वालों पर पांच वर्ष तक की जेल और 10 लाख रूपय का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरोगेसी के मुददे को गंभीरता से लेते हुए महिला समूहों, गैर–सरकारी संगठनो वकीलो और सरकारी अधिकारियों से परामर्श और चर्चा का आयोजन किया ताकि इस विषय पर उनके विचार और विभिन्न दृष्टिकोणों को जाना जा सके। यह नोट करते हुए प्रसन्नता हुई कि उनकी अनेक सिफारिशों को प्ररूप विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

तथापि, मंत्रिमंडल द्वारा अनुभोदित प्रारूप विधेयक से विधेयक के अनेक प्रावधनों के बारे के विवाद भी पैदा हो गए है और सरकार ने इन विवादों की जांच करने और इस विधेयक को संसद में भेजने से पूर्व इसमे उपयुक्त परिवर्त्रन करने और संशोधनों के साथ विधेयक में उचित शब्दावली लाने का वचन दिया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- अहमदाबाद स्थित एक अस्पताल ने यदि कन्या पैदा होती है तो बिल के भुगतान में एक विशेष ऑफर देना आरम्भ किया है ताकि मां–बाप उस राज्य में कन्या का महत्व समझ सकें जो 1000 लड़कों की तुलना में 890 लड़कियों के असंतुलित अनुपात के कारण पिस रहा है।
- केंद्रीय सरकार के उन महिला कर्मचारियों को, जिन्होनें यौन प्रताड़ना की शिकायतें दायर की हैं, अब जांच के चलने तक तीन महीने की सवेतन छुट्टी मिलेगी क्योंकि ऐसी शिकायतें आई है कि आरोपी लोग कुछ मामलों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं अथवा पीड़ितों को धमकियां दे रहे हैं। यह छुट्टी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले ही दी जानी वाली हुट्टी के अतिरिक्त होगी।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा राकने के लिए पुरूषो को काम पर लगाना

अब तक महिलाओं के सशक्तिकरण से मनोवांछित सामाजिक परिवर्तन प्राप्त नहीं होने पर विशेषज्ञों ने दृष्टिकोण और विधि का पुनश्चर्या करने के लिए कहा है जिससे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में पुरुषों और लड़कों को काम पर लगाना शामिल है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक शोध केंद्र ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए एक 10 सूत्री चार्टर निकाला है। जिन विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया उनमें शामिल हैं – एम.पी. राजीव गौडा, राष्ट्रीय महिला आयोग में संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता, सामाजिक शोध केंद्र में निदेशक रंजना कुमारी आदि।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के बारे में छठे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में भाषण दिया। अध्यक्षा ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर चिंताजनक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और गैर–सरकारी संगठनों को इन गंभीर अपराधों, जिसने देश की जड़ों को हिला दिया है, की रोकथाम में सहायता करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। उन्होंने महिलाओं पर हमले और अत्याचार के पीछे पुरुष प्रधान सामाजिक ढ़ांचे को मुख्य कारण होने के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने इस दुश्चक्र का भाग होने के लिए समाज और पुलिस की भी भर्त्सना की। तथापि उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि कुछ मुद्दों को सनसनीखेज़ न बनाएं जिससे नुकसान हो सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा मीडिया सम्मेलन में भाषण करती हुई

एंडोमेटकॉन त्रिची 2016

अध्यक्षा को संबोधित करती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारामंगलम ने एंडोमेटकॉन त्रिची 2016 की शुरूआत की स्मृति समारोह मनाने के लिए त्रिची में रोग एंडोमीट्रिओसिस पर एक सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। 2,000 डॉक्टरों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश में महिलाओं को होने वाली दिन–ब–दिन की समस्याओं का समाधान करने में अपनी इच्छा व्यक्त की।

लखनऊ में जन सुनवाई

अध्यक्षा सदस्या सुषमा साहू, सुश्री कंचन खट्टर और पार्षदों के साथ लखनऊ में 12 और 13 अगस्त को एक जन सुनवाई में उपस्थित हुई। 44 मामलों में से, जो लिए गए थे, 16 को बंद कर दिया गया और 16 का निपटान मध्यस्थता के द्वारा किया गया। शेष मामले लंबित हैं क्योंकि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट आनी हैं।

अध्यक्षा, सदस्या सुषमा साहू, पुलिस अधिकारी, कंचन खट्टर जनसुनवाई में

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने बुलंदशहर गैंगरेप की अल्पवयस्क पीड़िता की मेडिकल जांच की थी और कथित रूप से उससे दुर्व्यवहार किया और उससे बेतुके सवाल पूछे। इसने एफ.आई.आर. में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) की धाराओं को शामिल न करने के लिए पुलिस की कड़ी आलोचना की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता ललिता कुमारामंगलम ने कहा कि उस परिवार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम से कहा कि जब लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, "उसे डॉक्टर ने बुरा भला कहा और उसे अनेक अटपटे सवाल पूछे और उसको झिड़की दी और जब राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने पूछा कि क्यों नहीं एफ.आई.आर. में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई, तो पुलिस अधिकारी ठोस उत्तर नहीं दे सके।

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ से

पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के साथ सहयोग से दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों मी महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए एक विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारामंगलम, सदस्या रेखा शर्मा, डॉ. बबली मोइत्रा सर्राफ, प्रिंसिपल, इन्द्रप्रस्थ कॉलेज और डॉ. नलिनी डेका उपस्थित हुई।

सदस्या लालडिंगलियानि साइलो श्रोताओं को करती हुई, मंच पर बैठी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, डा० सरफि और सदस्या रेखा शर्मा

अध्यक्षा ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया और वे यह समझें कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं हैं परन्तु इसके उचित उपयोग से उन्हें न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। बाद में श्री गुरुचरण सिंह, फैकल्टी सदस्य, सेन्ट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत 'साइबर क्राइम एंड वूमैन' पर चर्चा हुई। प्रो. वेद कुमारी, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 'अपराधिक कानून और महिलाएं' पर एक सत्र आरम्भ किया गया। इसके बाद दिल्ली में क्षेत्रीय बहुविविधता और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के समक्ष आने वाली समस्याओं के संदर्भ में सहअस्तित्व के बराबरी के अधिकारों पर एक पारस्परिक सत्र में पूर्वोत्तर सपोर्ट सेंटर हेल्पलाईन से सुश्री अलामा–गोलमी द्वारा चर्चा की गई।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या रेखा शर्मा एक टीम के साथ जन सुनवाई के लिए गाजियाबाद गई जिसमें सुनवाई के लिए लाए गए लगभग सभी 50 मामले सुलझ दिए गए और आयोग द्वारा बंद कर दिए गए। ● सदस्या टाइमस आफ इंदिया में प्रकाशित ''दो बी.एस.पी. सदस्य उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के लिए गिरफ्तार किए गए'' रिपोर्ट की जांच करने के लिए मथुरा गई। ● सदस्या सुश्री लीलाबाती के साथ मणिपुर के 'ईमा कीथेल' गई और वहां अस्थायी मार्केट आकलन किया क्योंकि मूल मार्केट जनवरी 2016 को आए भीषण भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगले दिन सदस्या ने सिविल सोसाइटी, गैर–सरकारी संगठनो, मणिपुर राज्य आयोग और मीरापेइडी वुमैन मूवमैंट के प्रतिनिधियों के साथ पारस्पदिक चर्चा की। बैठक में प्रतिभागियों ने (क) सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराध, (ख) पुलिस की असंवंदनशीलता, (ग) सजा की बहुत नीची दर, (ध) मंहगी और बोझिल न्यायिक प्रकिया (डं) पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाएं और टायलेट का न होना (च) सेक्स वर्कर्स के लिए राचि आश्रयस्थल की कमी और फीरेंसिक प्रयोगशालाओंकी कमी। इस के बाद सदस्या ने आंगनवाड़ी बर्कर्स के साथ बातचीत की जिन्हे पेंशन नही मिलती है और उन्हे भारी वित्तीय परिशानी उठानी पड़ती है। बाद में सदस्या ने डी.जी.पी., मणिपुर से मुलाकात की और महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के मामलों और पुलिस को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। ● सदस्या रेखा शर्मा अवनि

सदस्या रेखा शर्मा गाजियाबाद में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ

(Cont. on next page)

सदस्यों के दौरे

बहारी जिले (विधि) के साथ '' लुटेरों ने कार रोककर लूट पाट की, महिला और उसकी बेटी के साथ गैंग रेप किया'' रिपोर्ट की जांच करने बुलंदशहर गई। इसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि नौएडा से द: व्यक्तियों का एक परिवार कार से शाहजहांपुर जा रहा था जिसका लुटेरों ने कार रोककर लूट पाट की और फिर उनकी कार को पास के खेतों में ले गए और महिला और उसकी बेटी के साथ गैगरेप किया। उसके बाद नुटेरे नकदी और जेवर लेकर भाग गए और परिवार को वहां छोड़ दिया। उनकी कार दलदल वाले खेत में फंस गई। यह धटना अगली सुबह प्रकाश में आई जब रिवार नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंचा और एफ.आई.आर. दायर की। स सदस्या बंगला साहिब शेलटर कंपाऊंड, नई दिल्ली भी गई। वहां शेलटर में रहने वाले लोगो की स्थिति देखने के लिए अचानक जांच की।

❖ सदस्या सुषमा साहू टेक्नीकी विशेषज्ञ (विधि) गीता राठी सिंह और काऊंशलर वरूण छाबड़ा के साथ 4 वर्ष की लड़की के साथ हुए रेप की जांच करने मेरठ गई। टीम पीड़िता के परिवार से मिली और मामले को देखने वाले डाक्टरों से भी बात की। उन्होनें बलात्कार की पुष्टि की और कहा कि लड़की को अगले सात से आठ दिन डाक्टरी निगरानी में रखा जाएगा। हापुड़ के डी.एस.पी. को केस की अब तक की जानकारी देने के लिए कहा गया है। टीम ने सामान्य तौर पर महिलाओ और बच्चों के विरूद्ध मामलो में कार्यवाही करने में पुलिस और प्रशासन की ढुलमुल रवैय की आलोचना की। टीम ने लड़की के लिए मानसिक परामर्श और पौष्टिक आहार की सिफारिश की और सुझव दिया कि उन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए जिन्हौने बेहुदे तरीके से जांच की। ● श्रीमती साहू कांउसलर वरूण के साथ पवर्ज के बलात्कार पीड़ित के मामले की जांच करने के लिए रोहिणी के डा० अम्बेडकर अस्पताल गई। वे पीड़िता और परिवार के सदस्यों से मिली और एस.एच.ओ. से उसके पुलिस स्टेशन में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों से संबंधित दर्ज सभी अपराधों की स्थिति के साथ विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। ● सदस्या ने पीड़िता के लिए उचित डाक्टरी देखरेख और पौष्टिक आहार की सिफारिश की। श्रीमती साहू सुश्री गीता राठी के साथ उत्तम नगर के मोहन गार्डन एक महिला के शील मंग की शिकायत और पुलिस उदासीनता की जांच करने के लिए गई। टीम रनहोला पुलिस स्टेशन गई और उनसे जोर देकर कहा कि मामले की बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के उचित तरीके से जांच की जाए। वहां जाने से पुलिस ने तत्परता से कार्मवाही की और मामला पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढ़ग से सुलझ गया। ● सदस्या ने नई दिल्ली में जे.एन.यू. में एक मैगजीन 'स्त्रीकाल' द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'महिला आरक्षण इसके समझ रूकावेंट' पर पैनेलिस्ट के तौर पर भाग लिया।

सदस्या सुषमा साहू (दाहिने) जे.एन.यु. संगोष्ठी में

❖ एक तीन सदस्यीय टीम ने, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य आलोक रावत और कांउसलरस वरूण छावड़ा और नेहा महाजन गुप्ता शामिल थे, उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला जन सुनवाई का आयोजन किया। टीम ने पीड़ितों, प्रतिवादियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। टीम ने 45 मामले लिए जिसमें से 37 मामलों को निपटा दिया गया और शेष 8 मामलों में एडीशनल सुपरिटेनडेन्ट आफ पुलिस को अग्रेतर कार्यवाही करने के निदेश दिए गए हैं।

सदस्य आलोक रावत, काऊसलर नेहा शर्मा के साथ जन सुनवाई में

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा बेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित।